राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-10) विभाग,

परिपत्र 6/79

जयपुर, नवम्बर 28,1979

संख्या प. 17(59) गृह/ग्रुप-10/76:-कतिपय जिलों में अभियोजन शाखाओं के निरीक्षण के समय यह ध्यान में आया है कि सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी अपने जिले के जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से समुचित सम्पर्क नहीं रखते, जिससे स्थानीय समस्याओं का अविलम्ब निराकरण नहीं हो पाता और अभियोजन कार्य में वांछित तालमेल की कमी बनी रहती है।

समस्त सहायक लोक अभियोजकगण प्रथम श्रेणी का कर्त्तव्य है कि वे उक्त अधिकारीगण से निकट सम्पर्क बनाये रखे तथा जो भी समस्यायें दिन प्रतिदिन के अभियोजन कार्य में उठे उनके समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उनका सहयोग प्राप्त करते रहें। इसके उपरान्त भी यदि किन्ही मामलों में मुख्यालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत हो तो ऐसे मामलों के लिए समुचित टिप्पणी समस्या को स्पष्ट करते हुए प्रेषित कर स्वयं अपने सुझाव भी अंकित करें, ताकि उन मामलों में अभियोजन मुख्यालय स्तर से भी न्यायपालिका मजिस्ट्रेटी न्यायालयों, कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों न्यायालयों एवं पुलिस विभाग में समुचित तालमेल रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। सभी सहायक लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी अपने अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजकगण का मार्गदर्शन करें कि उन्हें न्यायपालिका मजिस्ट्रेटी न्यायालयों एवं कार्यपालिका मजिस्ट्रेटी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से किस प्रकार समुचित सम्पर्क रखना चाहिए एवं जब कभी भी कोई अभियोजन सम्बन्धी समस्या उत्पन्न हो, उसको तुरन्त सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी के ध्यान में लाये ताकि जिला स्तर पर उसका समुचित हल शीघ्र निकाला जा सके।

(भंवर लाल मान्धना)

निदेशक, अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।